## केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:9873 27 01 2021

विषय: खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ मे है।
- 2) IS 9873 (भाग 3) के संशोधन पर, और कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी करने के बाद, खिलौनों की सुरक्षा के लिए उत्पाद मैनुअल को संशोधित किया गया है और अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines→ Product Manual" के अंदरहोस्ट कर दिया गया है।
- 3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमे संशोधित SIT भी संयुक्त है, को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास) वैज्ञानिक-डी

प्रमु<u>ख, (कें.मु.वि.-2)</u> क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

## **CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/G-73/16:9873 27 01 2021

## **Subject: Revised Product Manual for Safety of Toys**

- 1. This has reference to the subject mentioned above.
- 2. Consequent upon the revision of IS 9873 (Part 3) and issue of implementation guidelines, the product manual for safety of toys has been revised and the approved Revised Product Manual has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines → Product Manual".
- 3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all Licensees and Applicants within 7 days.

(Aditya Das) Scientist-D

Head (CMD 2)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet